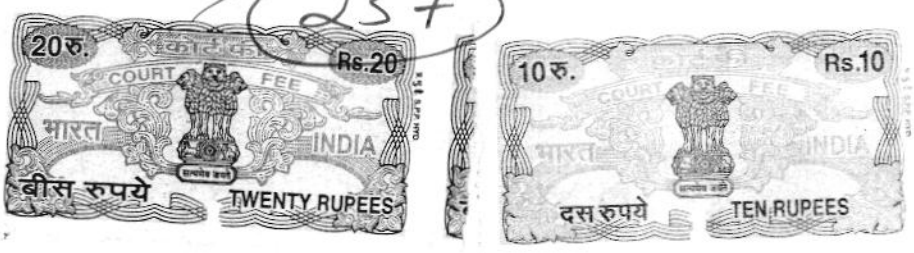

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमांक /एक/2017 दिनांक– /01/2017

1– शान्ति उर्फ संतो पुत्री रगवर पाल पत्नि पुन्ना पाल,

निबासी– ग्राम चंदौखा, तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

2– भागवती पुत्री रगवर पाल पत्नि हरदयाल पाल,

निबासी– मजगुंवा, तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..................आवेदकगण

वनाम

1– खुम्मा तनय रगवर पाल, 2– नंदू तनय रगवर पाल,

3– फूलनबाई पत्नि रगवर पाल,

सभी– निबासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

..................अनावेदकगण

4– कल्लन पुत्री रगवर पाल पत्नि लाल्ले पाल

निबासी ग्राम पड़वार , मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

5– नन्नी बेन पुत्री रगवर पाल,

ग्राम मउघाट , तहसील एवं जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... तरतीवी अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी इस माननीय न्यायालय में ग्राम तखा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ की नामांतरण पंजी कमांक 13, दिनांक 05/08/2000 पर

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
म०- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

पारित नामांतरण आदेश, (ग्राम पंचायत तखा के प्रस्ताव कमांक 01 दिनांक 25/08/2000 के आधार पर) से परिवेदित होकर प्रस्तुत कर रहा है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम तखा स्थित भूमि खसरा नंबर 57/3 एवं 216/5 रकवा कमशः 2.458 एवं 2.023 पर आवेदिकागण एवं अनावेदकगण के पिता रगवर तनय बंशी गड़रिया के नाम पर भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। रगवर के आवेदकगण एवं अनावेदकगण विधिवत बारिश हैं तथा उनके द्वारा निर्वसीयती रूप से छोड़ी गई संपत्ति पर उनके सभी वारिसों का हक व हिस्सा है। जिस पर आवेदिकागण का नाम छोड़कर अनावेदक कमांक 1 से 3 द्वारा अपना नाम वदयांति पूर्वक दर्ज करवा लिया है। जिसके लिये ना तो नामांतरण नियमों का पालन किया गया है, ना ही विधिवत प्रकिया का पालन किया गया है। जिस कारण से प्रश्नाधीन पंजी पर पारित आदेश विधि एवं प्रकिया कि बिपरीत है।

3– यह कि जिसको दर्ज करने से पूर्व ना तो आवेदकगण को कोई सूचनापत्र जारी किया गया, ना ही विधिवत इश्तहार ही जारी किया किया गया। एक पक्षीय रूप से आवेदक के हिस्सा पर भी अनावेदकगण 1 से 3 का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि उपरोक्त वादभूमि में से आवेदक का भी हिस्सा बनता है। इस प्रकार विधिवत नामांतरण प्रकिया का पालन किये बगैर ही प्रश्नाधीन आदेश पारित करके उपरोक्त नामांतरण करके आवेदिका का नाम भी राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया। जिसकी जानकारी होने पर आवेदक द्वारा पटवारी से जानकारी प्राप्त करके यह निगरानी पंजी की छाया प्रतिलिपि प्राप्त करके प्रस्तुत की जा रही है। जो कि जानकारी दिनांक एवं पंजी प्राप्ति दिनांक से समय सीमा में है। बिलंब माफ करने वावद पृथक से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि, आवेदिकागण की निगरानी स्वीकार करके नामांतरण पंजी कमांक 13 दिनांक 05/08/2000 पर अनावेदकगण का स्वीकृत नामांतरण निरस्त करके पिता रगवर के स्थान पर उसके सभी बैद्य वारिसों के नाम दर्ज करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

ग्वालियर दिनांक 18/01/2017 आवेदक/~~अधिवक्ता~~

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–254–एक/2017 जिला–टीकमगढ़

शांति उर्फ संतो व अन्य विरूद्ध खुम्मा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
~~19–02–2019~~ 20-02-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार व तहसील टीकमगढ़ जिला–टीकमगढ़ के नामांतरण पंजी क्रमांक 13, में पारित नामांतरण आदेश दिनांक 05–08–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 20/2/2019 सदस्य	